प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**—ए.सी.बी. चौकी स्पेशल यूनिट कोटा **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या .....206/22..... **'दिनांक**.....25/05/2022

2. (A) **'अधिनियम** – (संशोधित) पी.सी. एक्ट 2018 **धारायें** –7, संशोधित पी.सी. एक्ट 2018

(B) **'अधिनियम** – **धारायें** – .....

(C) **'अधिनियम**..... **'धारायें**.....

(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**.....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**.....522.....**समय**.....7:30 Pm.....

(ब) **'अपराध घटने का 'दिन**.....**'दिनांक**....24.05.22 ...**'समय** 12.02 पी.एम.

(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक. 06.05.22 समय 8.00 पी.**एम.

4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – हस्तलिखित रिपोर्ट

5. **घटना स्थलः**—

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— बजानिब उत्तर पश्चिम 40 किलोमीटर.

(ब) 'पता.... भंवर सिहं की आर्टिफिशियल ज्वैलरी की दुकान न्यू चूडी मार्केट बन्दी **जरायम देही संख्या**.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – कोतवाली बून्दी **जिला** – बून्दी

6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :**—

(अ) **नामः**— श्री त्रिभुवन सिहं हाडा

(ब) **पिता का नाम** – श्री दिनेश सिहं हाडा

(स) **जन्म तिथी/वर्ष**..... उम्र 38 वर्ष

(द) **राष्ट्रीयता.**— भारतीय

(य) **पासपोर्ट संख्या**.....**जारी होने की तिथी**.....
जारी होने की जगह.....

(र) **व्यवसाय**—

(ल) **पता** – **सिविल लाईन बून्दी**

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :**—
श्री रोहित बैरागी पुत्र श्री महावीर बैरागी जाति बैरागी उम्र 35 साल निवासी बालचन्दपाडा पुलिस थाना बून्दी हाल वार्ड पार्षद वार्ड संख्या–1 नगर परिषद बून्दी।

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारणः**—..... शून्य..

9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**

10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....1,50,000 रू.....

11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :**—

श्रीमान हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2022 को समय 05:12 पी.एम. पर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एसयू कोटा के पास मुख्यालय भ्र.नि.ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 से कॉल आया तथा परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह निवासी बून्दी के मोबाईल नम्बर 9829083479 पर सम्पर्क कर परिवादी की शिकायत पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर 9829083479 पर कॉल कर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर स्वयं को त्रिभुवन सिंह हाड़ा पुत्र श्री दिनेश सिंह हाड़ा जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी सिविल लाईन्स बून्दी होना बताया। फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री त्रिभुवन सिंह से उसकी शिकायत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि "मेरा बाल निकेतन स्कूल बून्दी बालचन्दपाडा के पास एक प्लॉट है। मेरे प्लॉट के पश्चिम की तरफ करीब 10 फुट जगह पर मेरा कब्जा है। मेरे प्लॉट का पट्टा एवं रजिस्ट्री कम्पलीट है तथा मैनें मेरे प्लॉट के पश्चिम की तरफ मेरे कब्जे की 10 फुट जगह मुझे आवंटन करने के लिए भी नगर परिषद बून्दी में फाईल लगाकर आवेदन कर रखा है। मैने मेरे प्लॉट पर मकान निर्माण कार्य चला रखा है किन्तु हमारे वार्ड का पार्षद रोहित बैरागी मेरे मकान के निर्माण कार्य को रोक रहा है तथा मेरे कब्जे की 10 फुट जगह पर मकान का निर्माण कार्य करने देने

एवं परेशान नहीं करने की एवज में एक लाख रुपये मांग रहा है जबकि मैंने नियमानुसार स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के तहत नगर परिषद में आवेदन कर रखा है। मैं पार्षद रोहित बैरागी को मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूँ।" अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को कार्यालय पर कोटा आने हेतु पूछा गया तो परिवादी ने कहा कि मैं अभी आपके कार्यालय पर कोटा नहीं आ सकता हूँ क्योंकि पार्षद रोहित बैरागी मुझे मेरे निर्माण कार्य एवं रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए अभी या सुबह जल्दी बुला सकता है। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं अपने कार्यालय से कॉनिस्टेबल दिलीप कुमार को आपके पास सरकारी टेप रिकॉडर लेकर भेज रहा हूं, जो आपको आगे की प्रक्रिया समझा देगा। श्री त्रिभुवन सिंह को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को अपने कक्ष में बुलाकर उसे बून्दी पहुंचने हेतु निर्दिष्ट किया गया और परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह से उसके मोबाईल नम्बर 9829083479 पर सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। श्री दिलीप कुमार कानि. ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9829083479 पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने आरोपी पार्षद द्वारा वार्ता करने हेतु दिनांक 06.05.2022 को बुलाना बताया। परिवादी को मामले की गोपनीयता रखने बाबत् समझाईश की गई। श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को दिनांक 06.05.2022 को प्रातः परिवादी से सम्पर्क कर बून्दी जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 06.05.2022 समय 07:00 ए.एम. पर कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु आवश्यक निर्देश देकर बून्दी रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. 401 गोपनीय सत्यापन हेतु बून्दी रवानाशुदा कार्यालय हाजा वापस आया तथा कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर एवं परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि "मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय कोटा से रवाना होकर बून्दी पहुंचा। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह से उनके मोबाईल नम्बर 9829083479 पर सम्पर्क कर उनसे मिला तो उन्होने उनका एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझे दिया। फिर मैनें परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया। फिर हमने परिवादी के पास आरोपी पार्षद रोहित बैरागी का कॉल आने का इंतजार किया लेकिन परिवादी के पास आरोपी का कॉल नहीं आया। परिवादी ने आरोपी पार्षद रोहित बैरागी को मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। इस पर शाम तक इंतजार करने के पश्चात् परिवादी ने कहा कि अब आज पार्षद रोहित बैरागी से सम्पर्क नहीं हो पायेगा, जब भी उससे बात करने का समय फिक्स हो जायेगा, मैं आपको सूचना कर दूंगा। परिवादी के कोई आवश्यक कार्य होने के कारण वह बून्दी ही रूक गया तथा मैं परिवादी का लिखित प्रार्थना पत्र एवं सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर साथ लेकर कार्यालय में वापस आया हूँ।" इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अब तक के हालात बताये तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एसयू कोटा द्वारा सुपुर्दशुदा प्रार्थना पत्र लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाडा के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के लिखित प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 10.05.2022 समय 08.00 ए.एम.पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री दिलीप कुमार कानि. 401 ने बताया कि अभी परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह ने अपने मोबाईल से मुझे कॉल कर बताया कि आज आरोपी पार्षद रोहित बैरागी ने मुझे मेरे मकान के निर्माण के सम्बन्ध में एवं रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिए बुलाया है, इसलिए आप सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेके 10–11 बजे के आसपास आ जाना।" इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री

दिलीप कुमार कानि. 401 को परिवादी के बताये समय अनुसार बून्दी पहुंचकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने के निर्देश दिये जाकर कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर श्री दिलीप कुमार कानि0 को सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर बून्दी पहुंचकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने के निर्देश देकर बून्दी रवाना किया गया। श्री दिलीप कुमार कानि. 401 गोपनीय सत्यापन हेतु बून्दी रवानाशुदा कार्यालय हाजा वापस आया तथा सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि "मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय कोटा से रवाना होकर बून्दी पहुंचा। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह से उनके मोबाईल नम्बर 9829083479 पर सम्पर्क कर उनसे मिला। मैनें परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया। फिर हमने परिवादी के पास आरोपी पार्षद रोहित बैरागी का कॉल आने का इंतजार किया लेकिन परिवादी के पास आरोपी का कॉल नहीं आया। इस पर समय 11:38 एएम पर परिवादी ने आरोपी रोहित बैरागी के मोबाईल नम्बर 7737575105 पर कॉल किया तो आरोपी ने परिवादी को 1.30 पीएम पर मिलने का समय दिया। आरोपी के दिये समय पर आरोपी का परिवादी के पास कॉल नहीं आने पर समय 01:52 पीएम पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह ने उसके मोबाईल से आरोपी रोहित बैरागी के मोबाईल नम्बर 7737575105 पर कॉल किया तो आरोपी ने परिवादी को सर्किट हाउस बून्दी बुलाया। इस पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया। परिवादी की कार से हम दोनों सर्किट हाउस बून्दी की तरफ रवाना हुये। रास्ते में आरोपी रोहित बैरागी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया तथा स्वयं द्वारा सर्किट हाउस में इंतजार करना बताया। सर्किट हाउस बून्दी के पास पहुंचने पर मैं सर्किट हाउस के बाहर ही कार से उतर गया तथा परिवादी उसकी कार से सर्किट हाउस के अन्दर चला गया। मैं इस दौरान अपनी उपस्थिति छिपाते हुये सर्किट हाउस के परिसर के आस पास रहा। करीब 20–25 मिनट बाद परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह सर्किट हाउस से अपनी कार से बाहर आया तथा कार से सर्किट हाउस के सामने रोड़ की तरफ जाकर घुमकर मेरे पास पहुंचा। मैने परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर उसे बन्द करके अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी रोहित बैरागी ने मेरे भूखण्ड के पास 10 फुट भूमि के सम्बन्ध में बातचीत कर मुझे परेशान नहीं करने, मकान का निर्माण करने देने एवं अन्य सुविधायें देने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि की मांग की है तथा रिश्वत राशि के बारे में शाम तक फाईनल कर बताने के लिए कहा है तथा मेरे व आरोपी के मध्य हुई सारी बातचीत आपके सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉडर में रिकोर्ड हो गई है। परिवादी ने स्वयं के कोई आवश्यक कार्य होने के कारण बून्दी ही रुकना बताया।" मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी को उसके मकान का निर्माण करने देने की एवज में रिश्वत मांगने की तो पुष्ठि हुई किन्तु कितनी रिश्वत राशि देनी है, यह नहीं बताया गया, जो बाद में फाईनल कर बताने हेतु कहा है। डिजीटल वॉईस रिकार्डर को श्री रामगोपाल हैड कानि. को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 16.05.2022 समय 10:56 ए.एम. पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी पार्षद रोहित बैरागी ने मेरे मिलने वालों के माध्यम से मुझे दो लाख रूपये की रिश्वत देने के बारे में सूचित किया है तथा मुझे दो लाख रूपये की रिश्वत राशि लेकर बुला रहा है। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी से स्वयं के कार्य एवं रिश्वत राशि के बारे में क्लियर बात करने की समझाईश की गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता स्पष्ट होने के कारण श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123 को उप पंजीयन कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा के नाम तहरीर देकर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। **समय 11:10 ए.एम. पर** श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123 रवानाशुदा मय दो सरकारी कर्मचारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा से कार्यालय हाजा वापस आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनके नाम पते पूछे गये तो एक ने अपना नाम मुरली मनोहर पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति खटीक उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 1–जी–24, संजय गांधी नगर, कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय उप पंजीयक कोटा प्रथम, मोबाईल नम्बर – 9694933891 एवं दूसरे ने अपना नाम हेमन्त कुमार नागर पुत्र श्री बद्रीलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 30 साल निवासी मकान नं. 143, ग्राम व पोस्ट बपासर कला तहसील सांगोद थाना बपावर जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक कोटा द्वितीय, मोबाईल नम्बर – 8875724269 होना

बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मेरे कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह से दोनो सरकारी स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। **समय 11:20 ए.एम.पर** कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 01, बालचन्द पाड़ा बून्दी के मध्य दिनांक 10.05.2022 को सर्किट हाउस बून्दी पर हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता में आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। **समय 01:10 पी.एम.**रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी द्वारा परिवादी को उसके मकान का निर्माण करने देने की एवज में रिश्वत मांगने की तो पुष्ठि हुई किन्तु कितनी रिश्वत राशि देनी है, यह नहीं बताया गया, जो बाद में फाईनल कर बताने हेतु कहा है। इस सम्बन्ध में परिवादी को आरोपी से स्वयं के कार्य एवं रिश्वत राशि के बारे में क्लियर स्पष्ट वार्ता करने की समझाईश की गई। परिवादी को कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मंगवाकर सुपुर्द कर पुनः चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई तथा रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के साथ बून्दी रवाना किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यकता होने पर तलब करने पर कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर भिजवाया गया। **समय 10:00 पी.एम. पर** श्री दिलीप कुमार कानि. 401 रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के साथ बून्दी रवानाशुदा कार्यालय हाजा वापस आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक को डिजीटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि "मैं कार्यालय हाजा से परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के साथ उसकी कार डिजायर से रवाना होकर बून्दी पहुंचा। परिवादी के पास आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद का कॉल आने का इंतजार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के पास आरोपी का कॉल नहीं आने पर दिन में परिवादी के मोबाईल से आरोपी पार्षद रोहित बैरागी के मोबाईल नम्बर 7737575105 पर कई बार कॉल किये गये किन्तु आरोपी पार्षद रोहित बैरागी द्वारा परिवादी का कॉल अटेण्ड नहीं किया गया। इस पर परिवादी के पास आरोपी का कॉल आने एवं सम्पर्क करने का इंतजार किया गया। समय 05:33 पीएम पर आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया तथा आरोपी द्वारा परिवादी को साढ़े छः बजे करीब परिवादी के प्लॉट पर ही मिलने के लिए कहा गया। इस पर समय सवा छः बजे करीब मैने डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर हम परिवादी के प्लॉट की तरफ परिवादी की कार डिजायर से रवाना हुये। मैं परिवादी के प्लॉट से पहले ही गली के मोड़ पर रूक गया तथा परिवादी को उसके प्लॉट पर आरोपी से बातचीत करने हेतु रवाना किया। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी द्वारा मुझे आरोपी के जाने की सूचना देने पर मैं परिवादी के पास उसके प्लॉट पर पहुंचा। हम परिवादी की गाड़ी में बैठकर थोड़ा दूर पहुंचे। मैने परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी पार्षद रोहित बैरागी से बात हो गई है, उसने एक लाख रूपये स्वयं के लिए एवं पचास हजार रूपये सभापति नगर परिषद के लिए कुल डेढ़ लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है, हमारे बीच जो भी वार्ता हुई है वह आपके डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। परिवादी ने यह भी कहा कि मैं रिश्वत राशि डेढ़ लाख रूपये की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। रात्रि का समय हो जाने एवं आवश्यक कार्य होने से परिवादी बून्दी ही रूक गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डी.वी.आर. को चालू कर सुना गया तो आरोपी पार्षद द्वारा परिवादी से डेढ़ लाख रूपये की रिश्वत मांग की पुष्ठि हुई तथा आरोपी द्वारा पूरी रिश्वत राशि डेढ़ लाख रूपये एक साथ गुरूवार दिनांक 19.05.2022 को देने हेतु कहा गया है। डी.वी.आर. श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 18.05.2022 समय 03:24 पी.एम.पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह ने जरिये दूरभाष कॉल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "मैने आरोपी को देने हेतु रिश्वत राशि डेढ़ लाख रूपये की व्यवस्था कर ली है, आरोपी रोहित बैरागी पार्षद ने मुझे डेढ़ लाख रूपये रिश्वत

राशि लेकर दिनांक 19.05.2022 को सुबह 10 बजे बुलाया है।" इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि डेढ़ लाख रूपये साथ लेकर प्रातः 08:30 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। **ट्रेप कार्यवाही का आयोजन** दिनांक 19.05.2022 को होने से समस्त कार्यालय स्टॉफ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को प्रातः 08:00 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 19.05.2022 समय 08:50 ए.एम. पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि वह आरोपी को रिश्वत में देने हेतु राशि डेढ़ लाख रूपये साथ लेकर आया है। पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर सूचना सहायक एवं श्री हेमन्त कुमार नागर कनिष्ठ सहायक एवं चौकी जाब्ता भी कार्यालय में उपस्थित आये। **समय 09:00 ए.एम.** पर कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद बून्दी के मध्य दिनांक 16.05.2022 को परिवादी के निर्माणाधीन भूखण्ड पर हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 10:30 ए.एम. पर** दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाडा ने अपने पास से 2000–2000 के 50 नोट व 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 1,50,000 रूपये मन् उप पुलिस अधीक्षक को पेश किये गये। नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है :–

S.NO.	नोट का प्रकार	नोट कमांक
1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2DK 590346
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	8ET 874753
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4BB 151427
4.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0AK 478592
5.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0FV 694646
6.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4FQ 738151
7.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1GS 182963
8.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6EC 061100
9.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9GM 476777
10.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6KA 165885
11.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3FM 818196
12.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7KL 529792
13.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9DV 260665
14.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7KM 098262
15.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4HL 969188
16.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	5NA 228260
17.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2FD 923811
18.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3CP 495667
19.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0EK 941206
20.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0CF 567379
21.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6DK 767920
22.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2DR 476897
23.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1LR 279442
24.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4FM 193022
25.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0LR 516628
26.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1BN 672798
27.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3KL 182828

28.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	5KN 719225
29.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0DK 295634
30.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	3BH 324124
31.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2BL 677822
32.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6CD 240367
33.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1EH 448913
34.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	2EN 116179
35.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1GC 976508
36.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9LN 824985
37.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6LA 932845
38.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1BE 778110
39.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1FV 346069
40.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6LA 595507
41.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0FL 184829
42.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0BV 852253
43.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	7AE 054037
44.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	6CH 102874
45.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	5GC 543268
46.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1ED 971954
47.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	0AR 805553
48.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	9MH 759167
49.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1BB 549566
50.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	1KG 538196
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DA 485601
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DA 485792
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DA 485795
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4PG 188826
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9VC 823519
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2BM 664166
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3RH 151163
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0RE 736977
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6CA 676602
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0FW 959540
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2DG 765723
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5AB 416300
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9VN 621056
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9BW 775493
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9RT 209969
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DA 485782
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DA 485767
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8BV 031900
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6CM 955854
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5VD 016328
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1HW 342668
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4KD 948349
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8VW 603376
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2RK 003340
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9CB 381043
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1CP 601576

77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3RS 507319
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3GS 403091
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3GS 403106
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4PN975246
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5UG 204685
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3RH 442024
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3FW 850353
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2UG 839465
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3KW548312
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0PF 431869
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0SC 023755
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6ND 765838
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6FD 218582
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9 TH 960121
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BF 251829
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4EP 717798
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7WW688269
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9GG 607596
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7RV 844785
96.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5NU 924907
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1DM 978193
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3GW 823556
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6HN 202841
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3VG 566796
101.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6RQ 310954
102.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6CR 508465
103.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8AL 211536
104.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213523
105.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213524
106.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213525
107.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213526
108.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213527
109.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213528
110.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213529
111.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213530
112.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213531
113.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213532
114.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213533
115.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213534
116.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213535
117.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213536
118.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213537
119.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213538
120.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213539
121.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7BB 213540
122.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4UU 278922
123.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1UF 557413
124.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1UF 557415
125.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2FE 003765

126.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8BV 692310
127.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8WN 753833
128.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5GA 221551
129.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8EA 872999
130.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8VG 331021
131.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8DU 286006
132.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8CU 255793
133.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1KS 891482
134.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7 SU 286151
135.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1NN 881339
136.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1NN 881335
137.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8EA 835891
138.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1RN 812759
139.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3CB 039034
140.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2KU 724016
141.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4QT 535181
142.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5US 438703
143.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2NN 820143
144.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6US 351117
145.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2ES 739703
146.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0DB 790044
147.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8FK 865231
148.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3US 085940
149.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8CE 690328
150.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2VN 292433

श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। तत्पश्चात एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री हेमन्त कुमार नागर से परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों एवं उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त घोल में श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की क्रिया प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया। इसके बाद गिलास के धोवन को श्री रामगोपाल हैड कानि. से बाहर फिकवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9982469615 पर मिस कॉल कर इशारा करें।फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री रामगोपाल हैड कानि. के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री रामगोपाल हैड कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के

आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखें व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को कार्यालय में ही रूकने के निर्देश दिये गये। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से नियमानुसार तैयार की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। **समय** 11:00 ए.एम.पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर सूचना सहायक, श्री हेमन्त कुमार नागर कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के परिवादी की कार डिजायर से बून्दी के लिए रवाना हुआ। श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, श्रीमति अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक को मय एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री लालचन्द कानि. 30 मय सरकारी वाहन टवेरा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के पीछे–पीछे आने के निर्देश दिये गये। **समय 11:49 ए.एम.** पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के मय सरकारी वाहन एवं परिवादी के प्राईवेट वाहन से बून्दी से पूर्व कोटा–बून्दी हाईवे पर बून्दी मोड़ पर गोपनीय स्थान पर पहुंचा। आरोपी से रिश्वत लेनदेन का स्थान तय करने हेतु परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के मोबाईल नम्बर 9829083479 से आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद के मोबाईल नम्बर 7737575105 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। **समय 11:55 ए.एम.**पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के मोबाईल नम्बर 9829083479 पर आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद के मोबाईल नम्बर 7737575105 से कॉल आया तथा आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत लेनदेन हेतु सर्किट हाउस बून्दी बुलाया गया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक तुरन्त मय परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के मय सरकारी वाहन टवेरा एवं परिवादी के प्राईवेट वाहन से सर्किट हाउस बून्दी के बाहर पहुंचा। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर उसकी कार डिजायर से सर्किट हाउस बून्दी के अन्दर रवाना किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ट्रेप जाल बिछाया गया तथा मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के सर्किट हाउस बून्दी के आस पास परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की प्रतीक्षा में मुकिम हुआ। **समय 12.50 पी.एम.** पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा बिना कोई ईशारा किये अपनी कार से सर्किट हाउस बून्दी से बाहर निकल गया तथा थोड़ी देर बाद रोड़ पर घुमते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया। परिवादी ने बताया कि आरोपी रोहित बैरागी पार्षद ने मुझसे मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत कर मुझसे रिश्वत राशि लाने के बारे में पूछा तथा रिश्वत राशि सर्किट हाउस के बाहर ही नाई की दुकान पर बोनी को देने के लिए कहा, जिस पर मैनें रिश्वत राशि आरोपी स्वयं को ही देने के लिए कहा तो आरोपी ने रिश्वत राशि स्वयं अपने हाथ में लेने से मना करते हुये वह उसकी मोटर साईकिल से चला गया। मैनें सर्किट हाउस से बाहर आकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द कर लिया था। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई तथा रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी, गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के आरोपी का परिवादी से पुनः सम्पर्क होने की प्रतीक्षा में गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। **समय 06:10 पी.एम.** पर मन उप अधीक्षक मय परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के आरोपी का परिवादी से सम्पर्क होने की प्रतीक्षा में गोपनीय स्थान पर मुकिम रहा। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के मोबाईल नम्बर 9829083479 से आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद के मोबाईल नम्बर 7737575105 पर कई बार कॉल करवाकर सम्पर्क करवाने का प्रयास किया गया किन्तु आरोपी से सम्पर्क नही हो पाया। इस पर ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं होने से स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार से परिवादी की शर्ट की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि निकलवाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर स्वतंत्र गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी द्वारा रिश्वत लेनदेन हेतु उससे सम्पर्क हो, तुरन्त मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित करे। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह को बून्दी ही छोड़कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से बून्दी से रवाना होकर कोटा पहुचा जहां स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार के पास रखा हुआ रिश्वत राशि का लिफाफा एवं डिजीटल वॉईस

रिकार्डर श्री रामगोपाल हैड कानि. को सुपुर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यकता होने पर तलब करने पर तुरन्त उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 24.05.2022 समय 08:57 ए.एम.पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी पार्षद रोहित बैरागी अब मुझसे सीधे बात नहीं कर रहा है, वह मेरे मिलने वाले श्री भंवर सिंह निवासी बून्दी के मार्फत मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है। मैने भंवर सिंह जी को समझा दिया है, आरोपी रोहित बैरागी पार्षद मुझसे रिश्वत राशि भंवर सिंह जी के माध्यम से मांग रहा है तथा रिश्वत राशि लेकर मुझे भंवर सिंह जी की दुकान पर ही बुला रहा है, आप तुरन्त आपकी टीम लेकर बून्दी आ जाओ। इस पर परिवादी को मय सहपरिवादी श्री भंवर सिंह के साथ बून्दी उपस्थित मिलने की समझाईश की गई। **समय 10:00 ए.एम. पर** तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर श्री हेमन्त कुमार नागर कार्यालय उपस्थित आये। कार्यालय के मालखाना में रखा रिश्वत राशि का लिफाफा एवं डिजीटल वॉईस रिकार्डर स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार के पास रखवाये गये। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा को जरिये दूरभाष गोपनीय स्थान पर बून्दी मिलने हेतु पाबन्द किया गया। **समय 10:20 ए. एम.पर** मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर, श्री हेमन्त कुमार नागर एवं एसीबी जाप्ता श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि.123, श्री करण सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अभिषेक कानि.197, श्री लालचन्द कानि.30, श्री भरत सिंह कानि. 515 मय सरकारी वाहन टवेरा एवं प्राईवेट वाहन से मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के कार्यालय से बून्दी के लिए रवाना हुआ। **समय 11:30 ए.एम. पर** मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से आर. टी.ओ. ऑफिस बून्दी के पास पहुंचा। पाबन्दशुदा परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह मय सह परिवादी श्री भंवर सिंह निवासी बून्दी के उपस्थित मिला। परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह ने बताया कि "आरोपी पार्षद रोहित बैरागी अब मुझसे सीधे रिश्वत राशि नहीं लेगा, वह इन भंवर सिंह जी के माध्यम से ही रिश्वत राशि मांग रहा है तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर मेरे निर्माणाधीन मकान को सीज करवाने की धमकी दे रहा है, आरोपी ने अभी स्वयं को इन भंवर सिंह जी की दुकान पर आकर रिश्वत प्राप्त करने के लिए कहा है। मेरे द्वारा भी श्री भंवर सिंह जी से बात की तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई।" इस पर स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार के पास रखा हुआ रिश्वत राशि का लिफाफे से फिनोफ्थिलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये निकलवाकर परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के वक्त होने वाली बातचीत रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वॉईस रिकार्डर उसे चालू व बन्द करने की विधि पुनः समझाकर सुपुर्द किया गया तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् पूर्व निर्धारित ईशारा समझाया गया। **समय 11:38 ए.एम. पर** परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर मय सहपरिवादी श्री भंवर सिंह के परिवादी की मोटरसाईकिल से नागर सागर कुण्ड बून्दी के पास न्यू चूडी मार्केट सहपरिवादी श्री भंवर सिंह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से परिवादीगण के पीछे पीछे रवाना होकर नागर सागर कुण्ड के पास न्यू चूडी मार्केट पहुंचा तथा सहपरिवादी की दुकान के आसपास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया तथा परिवादी के निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगाा। **समय 12:02 पी.एम. पर** परिवादी श्री त्रिभुवन सिह हाडा पुत्र श्री दिनेश सिह हाडा जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी सिविल लाईन बून्दी ने भंवर सिह की आर्टिफिशियल ज्वैलरी की दुकान चूडी मार्केट बून्दी के सामने खड़े होकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनों हाथ फेर कर किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने भंवरसिह की दुकान के अंदर बैठे हुऐ एक अन्य व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये तोतिया रंग की शर्ट पहने हुऐ व्यक्ति ही वार्ड पार्षद रोहित बैरागी है जिसने मुझसे अभी–अभी मेरे कब्जे की 10 फुट जगह पर मकान का निर्माण कार्य करने देने एंव परेशान नही करने देने की एवज मे एक लाख पचास हजार रूपये बतौर एक सफेद प्लास्टिक की थैली मे रखवाकर लिये है जो उसने उसके हाथ मे लेकर अपने पास साईड मे रख रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति जिसने तोतिया रंग की शर्ट व नीलें रंग की जींस की पेन्ट पहन

रखी है को अपना व टीम का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा उससे उसका परिचय पूंछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री रोहित बैरागी पुत्र श्री महावीर बैरागी उम्र 35 साल जाति बैरागी निवासी बालचंदपाडा थाना कोतवाली बून्दी हाल वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 1, बालचंद पाडा, नगर परिषद बून्दी का होना बताया तथा एक अन्य मौजूद व्यक्ति सहपरिवादी से उसका नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम भंवर सिह राठौड पुत्र श्री नाथूसिह जाति राजपूत उम्र 57 साल निवासी नाहर का चोहटा बून्दी हाल चूडी मार्केट बून्दी मे स्थित उक्त आर्टिफिशियल ज्वैलरी की दुकान का मालिक होना बताया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की ओर ईशारा कर आरोपी रोहित बैरागी से पूंछा कि अभी– अभी आपने त्रिभुवन सिह हाडा से उसके कब्जे की 10 फुट जगह पर मकान का निर्माण कार्य करने देने एंव परेशान नही करने देने की एवज में एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है क्या ? इस पर आरोपी रोहित बैरागी ने बताया कि मैने सुनिल बिलोची को बाल निकेतन स्कूल बालचन्दपाडा के पास एक प्लाट दिलवाया था। उक्त प्लॉट सुनिल बिलोची ने बिना मुझे बताये त्रिभुवन सिह हाडा को बैच दिया था किन्तु सुनिल बिलोची ने मुझे उस प्लॉट का कमीशन नही दिया था। इसलिये मैं त्रिभुवन सिह हाडा से उस प्लॉट की मेरे हिस्से की कमीशन राशि तथा त्रिभुवन सिह हाडा द्वारा उक्त प्लाट के लगंवा उसके कब्जे की 10 फुट जगह को उसके नाम स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत आवंटन करवाने की एवज मे एक लाख पचास हजार रूपये मांग रहा था जो आज त्रिभुवन सिह हाडा ने मुझको एक सफेद प्लास्टिक की थैली मे रखकर दिये है जो मैने मेरे हाथ मे लेकर मेरे पास रख लिये है। मैने त्रिभुवन सिह हाडा से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर परिवादी श्री त्रिभुवन सिह हाडा ने आरोपी रोहित बैरागी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मेरा बाल निकेतन स्कूल बालचंद पाडा बून्दी के पास एक प्लॉट है उस प्लॉट के पश्चिम की तरफ करीब 10 फीट जगह पर मेरा कब्जा है मेरे प्लॉट का पट्टा व रजिस्ट्री कम्पलीट है तथा मैने मेरे प्लाट के पश्चिम की तरफ मेरे कब्जे की 10 फीट जगह मुझे आवंटन करने के लिये भी नगर परिषद बून्दी मे नियमानुसार स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत फाईल लगाकर आवेदन कर रखा है। मैने मेरे प्लॉट पर मकान निर्माण कार्य चला रखा था, किन्तु इन्होने मेरे मकान के निर्माण कार्य को रोक दिया है तथा मेरे कब्जे की 10 फुट जगह पर मकान का निर्माण कार्य करने देने व परेशान नही करने देने की एवज मे मुझसे एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी एंव अभी–अभी भंवर सिह की दुकान पर आकर इसने मुझसे एक लाख पचास हजार रूपये प्लास्टिक की थैली मे रखकर देने हेतु कहा। जिस पर मैने दुकान मालिक भंवर सिह हाडा से एक सफेद प्लास्टिक की थैली लेकर उस थैली मे एक लाख पचास हजार रूपये रखकर इनको इनकी मांग के अनुरूप बतौर रिश्वत दिये है जो इन्होने प्राप्त कर अपने पास रखे है।चूंकि घटना स्थल मुख्य बाजार व रोड आम रास्ता होने एंव कार्यवाही में व्यवधान की पूर्ण संभावना होने से मेरे निर्देश पर आरोपी रोहित बैरागी का दाहीना हाथ श्री बबलेश कुमार कानि. 261 व बायां हाथ श्री योगेन्द्र सिह हैड कानि. 123 से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर तथा स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार नागर से प्लास्टिक की सफेद रंग की थैली मे रखी हुई रिश्वत राशि एक लाख पचास हजार रूपये **उठवाकर** अपने पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम व गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी रोहित बैरागी मय रिश्वत राशि की थैली के अग्रीम कार्यवाही हेतु मय पृथक–पृथक वाहनो से रवाना होकर थाना कोतवाली बून्दी पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने थानाधिकारी कोतवाली बून्दी को अपना परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। इस पर थानाधिकारी ने एक अनुसंधान कक्ष उपलब्ध करवाया जिसमे बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। चूंकि परिवादी के कहेनुसार आरोपी रोहित बैरागी ने रिश्वत राशि की थैली अपने हाथ मे लेकर अपने पास रखी है अतः आरोपी रोहित बैरागी द्वारा प्लास्टिक की थैली में रखी हुई रिश्वत राशि को अपने हाथ में लेने व छूने की पूर्ण संभावना होने पर उसके हाथ धुलवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात् दो साफ कांच के गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग अपरिवर्तित होना बताया। जिनमें आरोपी के दाहिने एवं बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को अलग अलग गिलासों के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिसे सभी हाजरीन ने भी दोनों गिलासों के घोल को मटमैला होना बताया। जिसे चार साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील चिट कर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क क्रमशः आर.एच.–1, आर.एच.–2 एवं एल.एच.–1,

एल.एच.–2 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी रोहित बैरागी के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि की थैली जो स्वतन्त्र गवाह श्री हेमन्त कुमार नागर के पास रखी हुई है को दोनो गवाहान से उसमे रखी हुई रिश्वत राशि निकलवाकर उनके नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से करने हेतु कहा। जिस पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से कर हुबहु होना बताया और कहा कि ये वही नोट हैं जिन पर कार्यालय में फिनोफ्थिलीन पाउडर लगवाया था। उक्त बरामदशुदा नोटों को एक खाली लिफाफे मे रखवाकर लिफाफे पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। जिसमें प्लास्टिक की सफेद थैली जिस पर एक तरफ ऐश्वर्या राय की फोटो छपी है तथा उपर की तरफ MOKSH लिखा हुआ है, जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि रखवाई गई थी, को उलटकर गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने भी गिलास के घोल को गुलाबी होना बताया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील चिट कर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क क्रमशः पी.–1, पी. –2 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा उक्त प्लास्टिक की थेली को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड पेकिट पर मार्क पी. अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी रोहित बैरागी की जामा तलाशी गवाह श्री हेमन्त कुमार नागर सें लिवाई गई तो उसके पास एक मोबाईल ओपो कम्पनी का दो सिम वाला जिसके प्रथम ईएमआई नम्बर 867498040502799, जिओ कम्पनी की सीम नम्बर 7737575105 तथा द्वितीय ईएमआई नम्बर 867498040502781, आईडीया कम्पनी की सीम नम्बर 9694848406 हैं मय मेमोरी कार्ड मिला, चूंकि उक्त मोबाईल कों आरोपी रोहित बैरागी द्वारा परिवादी व अन्य से वार्ता होने मे प्रयोग मे लिया गया है अतः उक्त मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरों लिया तथा आरोपी के पास जामा तलाशी मे मिले 1220/– रूपये स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार के पास रखवाये गयें। **समय 02:35 पी.एम.** पर सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा, सहपरिवादी श्री भंवर सिंह एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 01, बालचन्द पाड़ा, नगर परिषद, बून्दी के मध्य आज दिनांक 24.05.2022 को सहपरिवादी की दुकान पर पर हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। **समय 03:55 पी.एम पर** आरोपी श्री रोहित बैरागी पाषर्द को रिकार्ड वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर उसकी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बन्ध में गवाहान के समक्ष लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपने प्रतिउत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं और ना ही एफएसएल से जांच करवाना चाहता हूं। " नोटिसों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। **समय 04:10 पी.एम. पर** आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद, के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। **समय 04:20 पी.एम.पर** मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर, श्री हेमन्त कुमार एवं श्री किशन लाल उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी के पेण्डिंग कार्य स्ट्रीप ऑफ लेण्ड की फाईल से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त करने हेतु कार्यालय नगर परिषद बून्दी रवाना हुआ। आरोपी श्री रोहित बैरागी पार्षद को श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता की निगरानी में थाना कोतवाली पर छोड़ा गया। **समय 04:30 पी.एम.पर** मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय नगर परिषद बून्दी पहुंचा। श्रीमान आयुक्त को परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह के पेण्डिंग कार्य स्ट्रीप ऑफ लेण्ड से सम्बन्धित रिकार्ड चाहने बाबत् तहरीर देकर सम्बन्धित रिकार्ड चाहा गया। श्रीमान आयुक्त से सम्बन्धित रिकार्ड तैयार रखने हेतु निवेदन कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी, गवाहान व जाप्ता के सरकारी वाहन से घटनास्थल रवाना हुआ। **समय 04:35 पी. एम.पर** परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुरली मनोहर, श्री हेमन्त कुमार एवं श्री किशन लाल उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक के घटनास्थल सहपरिवादी की

दुकान नागर सागर कुण्ड के पास न्यू चूड़ी मार्केट पर पहुंचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशांदेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तैयार की गई। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। नगर परिषद बून्दी परिवादी के पेण्डिगं कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त कर पुलिस थाना कोतवाली जिला बून्दी पहुंचा। **समय 05:20 पी.एम पर** सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद, के मध्य दिनांक 19.05.2022 को सर्किट हाउस बून्दी पर हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 06:30 पी.एम.पर** कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड (1) रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो परिवादी त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 01, बालचन्द पाड़ा बून्दी के मध्य दिनांक 10.05.2022 को सर्किट हाउस बून्दी पर हुई थी (2) रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद के मध्य दिनांक 16.05.2022 को परिवादी के निर्माणाधीन भूखण्ड पर हुई थी (3) वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद के मध्य दिनांक 19.05.2022 को सर्किट हाउस बून्दी पर हुई थी (4) वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाड़ा, सहपरिवादी श्री भंवर सिंह एवं आरोपी श्री रोहित बैरागी वार्ड पार्षद के मध्य दिनांक 24.05.2022 को सहपरिवादी की दुकान पर पर हुई थी, उक्त चारों वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा लिवाया जाकर 04 डी0वी0डी0 में डब करवाया गया। चारों डी0वी0डी0 पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रथम डी0वी0डी0 वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय डी0वी0डी0 आरोपी के लिए, तृतीय डी0वी0डी0 नमूना आवाज हेतु सफेद कपड़े की अलग–अलग थैलियों में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेलियों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ डी0वी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। उक्त चारों वार्ताओं को माननीय न्यायालय हेतु वजह सबूत एवं आरोपी हेतु अलग–अलग दो ADATA कम्पनी के 16 जी. बी. पेन ड्राईव में सेव कर दोनों पेन ड्राईव को अलग–अलग सफेद कपड़े की थेली में रखा जाकर सील मोहर कर कपड़े की थेलियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। **बाद कार्यवाही** श्री त्रिभुवन सिंह हाडा व सहपरिवादी भंवर सिंह को रवाना किया गया व कार्यवाही में जप्तशुदा रिश्वत राशि 1,50,000/– रुपये एंव आरोपी के दोनों हाथों के धोवन व पोलिथीन की थैली का धोवन की कुल छः शील्डशुदा शींशीया व एक शील्डशुदा पैकिट पोलोथीन की थैली मार्क पी एंव 3 शील्डशुदा व 1 अनशील्ड डीवीडी व दो शील्डशुदा पेन ड्राईव मय आरोपी रोहित बैरागी मय ट्रेप बोक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मय जाप्ता के बून्दी से रवाना होकर कार्यालय पहुंचा जहां शील्डशुदा आर्टिकल व रिश्वत रकम 1,50,000/– रुपये को श्री रामगोपाल नागर हैड कानि0108 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री त्रिभुवन सिंह हाडा पुत्र श्री दिनेश सिंह हाडा जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी सिविल लाईन्स बून्दी के बाल निकेतन स्कूल बालचंद पाडा बून्दी के पास एक प्लॉट है जिसका पट्टा व रजिस्ट्री कम्पलीट है तथा उस प्लॉट के पश्चिम की तरफ करीब 10 फीट जगह जिस पर परिवादी का कब्जा है, जिसको स्वयं के नाम आवंटन कराने हेतु परिवादी द्वारा नगर परिषद बून्दी मे नियमानुसार स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत फाईल लगाकर आवेदन कर रखा है। परिवादी ने उक्त प्लाट एंव उसके पास स्थित उसके कब्जे की जगह पर निर्माण कार्य नियमानुसार चला रखा था जिसको आरोपी रोहित बैरागी द्वारा रोक दिया गया तथा परिवादी के कब्जे की 10 फुट जगह पर मकान का निर्माण कार्य करने देने व परेशान नही करने देने की एवज मे आरोपी रोहित बैरागी द्वारा परिवादी श्री त्रिभुवन सिह हाडा से स्वयं के लिये एक लाख व सभापति नगर परिषद बून्दी के नाम पर पचास हजार रूपये कुल एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज एक सफेद प्लास्टिक की थैली मे एक लाख पचास हजार रूपये रखवाकर प्राप्त किया जाना एवम् रिश्वत राशि आरोपी रोहित बैरागी से बरामद होना तथा आरोपी रोहित बैरागी के दोनो हाथो के धोवन का रंग मटमैला होना एवम् प्लास्टिक की थैली के धोवन का रंग गुलाबी होना इत्यादि तथ्यो से आरोपी रोहित बैरागी

के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी रोहित बैरागी के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर अपराध पंजीबद्व करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(धर्मवीर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिहं, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रोहित बैरागी, वार्ड पार्षद, वार्ड नम्बर-1 नगर परिषद बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 206/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक-: 1824-28 दिनांक 25.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

25.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।